छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 325 प्रकरण क्रमांक– **M-ALL-2025-02954**

आवेदक : श्री अमित गुप्ता, पता–फ्लैट नं.–115, बिल्डिंग–, दलीप परिसर, कैलाश नगर, छ.ग. गृह निर्माण मण्डल कॉलोनी, आई.ई. भिलाई, जिला–दुर्ग (छ.ग.) विरूद्ध (1) श्री प्रदीप गुप्ता, (2) श्री संदीप गुप्ता, पता–दलीप परिसर, कैलाश नगर, छ.ग.गृह निर्माण मण्डल कॉलोनी, भिलाई, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
14/07/2025	– प्रकरण प्रस्तुत। – आवेदक पक्षकार उपस्थित । – अनावेदक पक्ष से कोई उपस्थित नहीं। उभय पक्ष का नोटिस तामिल संबंधी पोस्ट Track Consignment प्रकरण में संलग्न है। आवेदक द्वारा आवेदन मय दस्तावेज पेश किया गया। जिसमें अनावेदकगण द्वारा खसरा नंबर 1546 पर अवैध प्लाटिंग कर कैलाश नगर, कुरूद, भिलाई जिला दुर्ग में रजिस्ट्री की गई है, उस पर कार्यवाही करने निवेदन किया गया। प्रकरण में आवेदक अधिनियम के प्रावधान के अधीन कोई आबंटिती नहीं है, न ही प्रकरण प्राधिकरण के अंतर्गत रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है। इसलिए आवेदक को अधिनियम की धारा–31 के अधीन कोई अनुतोष प्रदान किया जाना संभव नहीं है। अतः आवेदक का आवेदन निरस्त किया जाता है। किन्तु अनावेदक के कृत्य से प्रथम दृष्ट्या यह समाधान होता है कि प्राधिकरण में बिना पंजीयन कराए अनावेदक द्वारा 8 भूखंड का विक्रय विलेख निष्पादित कर विक्रय किया गया है जो कि अधिनियम की धारा–3 का उल्लंघन है व धारा–59 में दंडनीय है। अतः रजिस्ट्रार रेरा, प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर अनावेदक के विरूद्ध SUO-MOTO प्रकरण दर्ज करें। प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ दाखिल किया जावे। सही / – (धनंजय देवांगन) सदस्य सही / – (संजय शुक्ला) अध्यक्ष	